



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167652

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27873 वर्ष 2026

प्रियान्शु सिंह

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षगण

आवेदक के अधिवक्ता

: मंगलेश्वर वर्मा, रेनू शर्मा

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मंगलेश्वर वर्मा तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री कुँवर तेजेंद्र बहादुर को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर में धारा 103(1), 238 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 191 वर्ष 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट सह-अभियुक्त ऋषभ पटेल के विरुद्ध दर्ज की गई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पटेल सूचनाकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान आवेदक तथा सह-अभियुक्त ऋषभ पटेल के कॉल डिटेल के आधार पर आवेदक को भी वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन के अनुसार मोबाइल की सीडीआर से यह परिलक्षित होता है कि घटना के समय आवेदक सह-अभियुक्त ऋषभ पटेल के साथ घटनास्थल के निकट उपस्थित था।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सीडीआर तथा आवेदक के इकबालिया बयान और पुलिस के समक्ष सह-अभियुक्त के बयान के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने सह-अभियुक्त ऋषभ पटेल के साथ मिलकर मृतका की हत्या की। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त ऋषभ पटेल मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है और आवेदक उसका मित्र होने के कारण वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 07.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

10. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और विवेचना के दौरान सीडीआर के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है तथा आरोप के अनुसार आवेदक ने मुख्य अभियुक्त के साथ मिलकर मृतका की हत्या की, किन्तु यह परिलक्षित होता है कि आवेदक के इकबालिया बयान, पुलिस के समक्ष सह-अभियुक्त के बयान तथा आवेदक और सह-अभियुक्त की सीडीआर के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

11. इसके अतिरिक्त, सीडीआर से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक के मोबाइल फोन की लोकेशन घटनास्थल के निकट थी, किन्तु यह तथ्य केवल संदेह उत्पन्न करता है और केवल उक्त साक्ष्य के आधार पर इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतका की हत्या की।

12. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त ऋषभ पटेल मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है, जिसके पास मृतका की हत्या करने का उद्देश्य भी था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 07.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।

14. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

16. आवेदक-प्रियान्शु सिंह को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”